झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08/ज०सं०(नि०) ल०सिं० राँची–15/2012 ..../राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री कृष्ण देव नारायण सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के जलसंग्रहण सिंचाई एवं भूमि सुधार योजना में फर्जीवाड़ा एवं दिनांक– 29.11.2006 को उपलब्ध कराये राशि का व्यय नहीं कर शासकीय राजस्व की बर्बादी तथा राशि वापसी संबंधी आदेश का पालन नहीं करने का आरोप गठित कर विभागीय संकल्प सं०–1921 दिनांक–23.04.2015 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम– 43बी० अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य, संचिका में उपलब्ध कागजातों की समीक्षा एवं उपायुक्त, राँची के प्रतिवेदन पत्रांक– 2765 दिनांक– 28.11.2013 के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया अतएव श्री सिंह को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

4. अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ....419........ राँची/दिनांक ....21/01/19....

प्रतिलिपि :– उप सचिव(प्र०), प्रशाखा–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची–834001/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री कृष्ण देव नारायण सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, NH-33 मनोकामना होटल के नजदीक, मेरावल सिंदूर, हजारीबाग (झारखण्ड) को सूचनार्थ प्रेषित।

21/01/19
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव